राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 391/2007/जयपुर.

मैसर्स बिसलरी इन्टरनेशनल प्रा0 लिमिटेड,
(पूर्व नाम–एक्वा मिनरल्स लिमिटेड)
डी–12ए, रोड़ नं0 1 वी.के.आई. एरिया, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त–द्वितीय, जयपुर.
2. उपायुक्त (अपील्स)–IV, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री सी.एम.बटवाड़ा, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 29/08/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 2/28/आरएसटी/अपील्स–चतुर्थ/2004–05/जेपीई में पारित किये गये आदेश दिनांक 06.06.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 06.06.2006 के द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्त–द्वितीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा धारा 29 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम 1994 (जिसे आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) के तहत कर निर्धारण वर्ष 2001–02 के लिये पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 28.02.2004 में अपीलार्थी पर निर्धारित कर रूपये 54,07,022/– + 14,040/– + 12,000/– व धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 3,650/– एव धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 2,06,316/– को यथावत रखते हुए अपील अस्वीकर की है, को विवादित किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि कर निर्धारण वर्ष 2001–02 का नियमित कर निर्धारण दिनांक 28.02.2004 को पारित किया गया। आलौच्य अवधि में अपीलार्थी ने बिक्री रूपये 9,14,503/– की 4 प्रतिशत कर योग्य घोषित की है जिस पर कर रूपये 36,580/– बनता है। आलौच्य अवधि में अपीलार्थी ने रूपये 3,88,76,345/– की कर योग्य बिक्री में से कुछ बिक्री को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत कर मुक्त दर्शाया तथा कुछ बिक्री बिलों में 12 प्रतिशत की दर से कर संग्रहित किया गया है। आलौच्य अवधि में अपीलार्थी

लगातार.....2

को कर मुक्ति लाभ शेष नहीं रहने से 12 प्रतिशत की दर से कर रूपये 46,65,161/– एवं अधिभार रूपये 7,05,261/– आरोपित किया गया है जिन्हें इस अपील में विवादित किया गया है। साथ ही अपीलार्थी ने देय कर की तुलना में कर राशि रूपये 3,53,408/– कम जमा कराया है, अतः धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 1,64,335/– निर्धारित किया गया एवं देय मासिक कर विलम्ब से जमा कराया, अतः ब्याज रूपये 30,930/– अवधारित किया गया। अपीलार्थी ने त्रैमासिक बिक्री प्रपत्र क्रमशः 57 दिन, 41 दिन व 21 दिन प्रथम, द्वितीय व तृतीय तिमाही के विलम्ब से पेश किए अतः 119 दिन की देरी के लिए धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 1,190/– आरोपित की गयी। इसी प्रकार प्रपत्र एस.टी.5ए 246 दिवस विलम्ब से पेश किया, अतः धारा 61 के तहत शास्ति रूपये 2,460/– आरोपित की गयी।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध होने का कथन किया। वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्योर एण्ड सेफ बैक्टिरिया फ्री ड्रिंकिंग वाटर विनिर्माण कर विक्रय किया गया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा "Res judicata" सिद्धांत लागू करने में त्रुटि की गई है। खण्डपीठ के द्वारा सुनवाई के समय दिनांक 27.07.2016 को लिखित में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 04.01.2008 को अपीलीय अधिकारी के समक्ष संशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर त्रुटि सुधार करने का निवेदन करने का उल्लेख किया। इसी प्रकार 25.08.2009 को डीम्ड एसेप्टेड हो जाने का उल्लेख करते हुए भी प्रार्थना पत्र देने का उल्लेख किया। यह कि प्रार्थी द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित अपील संख्या अपील संख्या 2/00/आरएसटी/अपील्स चतुर्थ/2005–06/जेपीई में पारित आदेश दिनांक 06.06.2006 में संशोधन हेतु आवेदन पत्र राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 37 में 4 जनवरी 2008 को प्रस्तुत किया था।

यह कि प्रार्थी व्यवहारी की जानकारी के अनुसार उपरोक्त धारा 37 में प्रस्तुत आवेदन पत्र की सुनवायी हेतु कोई सूचना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और न ही इस उक्त आवेदन पत्र पर कोई आदेश पारित किया गया है।

यह कि राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 3(3) के प्रावधान अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार (Deemed accepted) हो गया है।

यह कि उक्त तथ्यात्मक रूप से स्वीकृत प्रार्थना पत्र अनुसार संशोधित आदेश की प्रति प्रार्थी को जारी करें। जिससे प्रार्थी आवश्यक अनुतोष विभाग से प्राप्त कर सके।

लगातार.....3

श्रीमान् उपायुक्त (अपील्स) चतुर्थ, महोदय वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर द्वारा अपील संख्या 2/28/आरएसटी/अपील्स चतुर्थ/2005/06/जेपीई मैसर्स बिसलरी इन्रनेशनल प्रा.लि., रोड़ नम्बर–12ए रोड़ नम्बर 1 वीकेआई एरिया, जयपुर विरूद्ध वाणिज्यिक कर अधिकारी विशेष वृत्त– द्वितीय, जयपुर कर निर्धारण वर्ष 2001–02 अपील आदेश दिनांक 06.06.2006

विषय :– आवेदन पत्र धारा 37 राजस्थान विक्रय कर अधिनियम।

प्रार्थी अपीलान्ट की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

यह कि सन्दर्भित अपील संख्या 2/28/आरएसटी/अपील्स चतुर्थ/2005–06/जेपीई को आदेश दिनांक 06.06.2006 से निर्णित किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अपीलान्ट को 24 दिसम्बर 2006 को तामील हुई है।

यह कि अपील आदेश का रिकॉर्ड के साथ अध्ययन करने पर आदेश में प्रथम दृष्टया अनेक तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटियाँ ध्यान में आयी है जिनका न्यायहित में सुधार किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्तानुसार बहस के अनुसार अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन किया तथा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण वर्ष 2001–02 के लिये दिनांक 01.04.2001 से 30.06.2001 तक प्रथम त्रैमास का त्रैमासिक रिटर्न दिनांक 25.09.2001 को प्रस्तुत किया है जो कर निर्धारण अधिकारी की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 35 पर उपलब्ध है, के क्रम संख्या 3 पर विक्रय किये गये माल का नाम "Mineral Water" लिखा है, कर दर 12 प्रतिशत व कराधेय विक्रय रूपये 1,32,26,242/– अंकित किये तथा कर राशि रूपये 18,27,999/– लिखी है तथा रविन्द्र सिंह के द्वारा यह घोषणा की गई है तथा उनके द्वारा हस्ताक्षरित है।

6. अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के अपील संख्या 2/28/आरएसटी/अपील्स–चतुर्थ/2005–06/जेपीई के विरूद्ध द्वितीय अपील दिनांक 24.02.2007 को राजस्थान कर बोर्ड में प्रस्तुत की है, जो अपील क्रमांक 391/07/जयपुर से पंजीकृत हुई है। इस खण्डपीठ के समक्ष सुनवाई के

लगातार.....4

समय दिनांक 27.07.2016 को अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने जो लिखित प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किये हैं उसमें उल्लेख किया है कि अपीलीय अधिकारी के अपील आदेश दिनांक 06.06.2006 में संशोधन हेतु आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 37 में दिनांक 04.01.2008 को प्रस्तुत किया था। यहां पर उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने एक तरफ तो अपील आदेश दिनांक 06.06.2006 के विरूद्ध द्वितीय अपील राजस्थान कर बोर्ड में दिनांक 24.02.2007 को प्रस्तुत की तथा साथ–साथ संशोधन प्रार्थना पत्र भी अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलार्थी व्यवहारी ने एक ही अपीलीय आदेश के विरूद्ध दो उपचार एक साथ प्राप्त करने का प्रयास किया है। अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष इस आशय का तथ्य कि उसके द्वारा दिनांक 24.02.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत कर दी है, को छिपाते हुए अपीलीय अधिकारी के समक्ष संशोधन आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। अपीलार्थी व्यवहारी एक आदेश के विरूद्ध एक ही समय में दो उपचार प्राप्त नहीं कर सकता है।

7. अपीलार्थी व्यवहारी ने मिनरल वाटर का उत्पादन कर बिक्री की है, यह तथ्य श्री रविन्द्र सिंह, जिसने दिनांक 27.07.2016 को इस खण्डपीठ के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, के द्वारा वर्ष 2001–02 की प्रथम त्रैमासिक रिटर्न में स्वयं ने घोषित किया है। यह रिटर्न पत्रावली के पृष्ठ संख्या 35 पर उपलब्ध है। अपीलार्थी व्यवहारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिये गये थे। अतः शपथ पत्र का संज्ञान नहीं लिया जाता है। शपथ पत्र "Self Contradictory" है। शपथ पत्र खारिज किया जाता है।

8. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ4(35)एफडीग्रुप–IV/87 दिनांक 23.05.1987 के द्वारा बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987 जारी की गई है। योजना का क्लॉज IV निम्न प्रकार है –

4. Exemption from tax on sales.-

(a) An Industrial unit, which is granted eligibility certificate under this notfn shall be exempted from payment of tax on sales made within the State of the goods manufactured by it. The quntum of sales tax exemption and the period of eligibility of exemption will be as per Annexure "C".

Provided further that the restriction in terms of percentage of fixed capital investment in Annexure "C" shall not apply to an electronic industrial unit given in Annexure "D" appended to this notfn, but the maximam time-limit of the benefit for such unit under the notfn shall be restricted to five years in all cases, except that in case of new pioneering or a prestigious electronic unit, such time-limit shall be nine years:

लगातार.....5

Provided further that the extent of exemption from tax shall be restricted to 60% of the tax liability of the expanded or diversified capacity in case of expansion or diversification of an electronic industrial unit.

(b) For the purpose of arriving at the limit of tax exemption as provided in Annexure "C", the aggregate of the following shall be considered:-

(i) Aggregate amount of tax including surcharge on sales which would have been leviable under the provisions of the RST Act, 1954; and

(ii) Aggregate amount of tax on inter-State sales including surcharge, if leviable, on the inter-State sales which would have been leviable under the provisions of the CST Act, 1956.

(c) An industrial unit claiming exemption from tax under this notfn shall not be entitled to claim any deduction, draw back, set off, partial exemption or refund in respect of purchases made by it.

ANNEXURE 'C'
Quantum of Sales Tax Exemption

New Units			Expansion/Diversification		
SSI 1	Medium/ Large 2	Time limit 3	SSI 4	Medium/Large 5	Time limit 6
100% of FCI	90% of FCI	Seven Years	90% of FCI	75% of FCI	Seven Years

Notes.- 1 If a unit reaches the admissible amount mentioned in columns [1, 2, 4 or 5] during the time limit fixed in coumns 3 or 6, it shall not be eligible for incentives thereafter.

9. राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 37 निम्न प्रकार है :–

Section 37- Rectification of a mistake.-

(1) With a view to rectifying any mistake **apparent from the record,** any officer appointed or any authority constituted under the Act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him.

Explanation.- A mistake apparent from the record shall include an order which was valid when it was made and is subsequently **rendered invalid by an amendment of the law having retrospective operation or by a judgement of the Supreme court, the Rajasthan High Court or the Rajasthan Tax Board.**

(2) No application for rectification shall be filed under sub-section (1) after the expiry of a period of three years from the date of the order sought to be rectified.

लगातार.....6

(3) Where an application under sub-section (1) **is presented to the assessing authority,** appellate authority or Tax Board and a receipt thereof is obtained, it shall be disposed of within a period of one year from the date of presentation and where such application is not disposed of within the said period, the same shall be deemed to have been accepted.

(4) No rectification under this section shall be made after the expiry of four years from the date of order sought to be rectified.

(5) An order of rectification which has the effect of increasing the liability of a dealer in any way, shall not be made without affording him an opportunity of being heard.

10. अधिनियम की धारा 37 के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सिविल अपील संख्या 2692/2011 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में पारित निर्णय दिनांक 29.3.2011 [(2011) 29 टैक्स अपडेट 253]** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 37 के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग अभिलेख से प्रकट भूल की स्थिति में ही किया जा सकता है। समस्त अभिलेख का पुनर्मूल्यांकन इस धारा के अधीन अनुज्ञेय नहीं है। निर्णय का सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :–

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records.

19. Thus, the order passed by the Taxation Board on 22.1.2009 as also the impugned order and judgment passed by the High Court upholding the said order of the Taxation Board are hereby set aside and quashed and the original order passed by the Assessing Officer is restored."

लगातार.....7

11. इसी प्रकार का मत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त **42 टैक्स अपडेट पार्ट–3 पेज 103 सहायक आयुक्त, वर्क्स कॉन्ट्रेक्ट एण्ड लीजिंग टैक्स, अलवर बनाम पी.एन.सी. कंस्ट्रक्शन, धौलपुर में पारित निर्णय दिनांक 24.04.2015** में प्रतिपादित किया है।

12. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी व्यवहारी ने बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987 के तहत कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा विनिर्मित व बिक्रीत माल मिनरल वाटर है जो कि सुसंगत कर निर्धारण वर्ष में कर योग्य वस्तु है। अपीलार्थी व्यवहारी ने अपील सुनवाई के समय खण्डपीठ के समक्ष खण्डपीठ के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में कोई निर्देश नहीं होने के उपरान्त भी शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। ऐसे शपथ पत्र को कोई मान्यता नही दी जाती है तथा शपथ पत्र का सज्ञांन नहीं लिया जाता है। अपीलार्थी व्यवहारी ने वर्ष 1996 से 2003 तक की अवधि के लिये बिक्री कर मुक्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। लेखा अवधि 01.04.2000 से 31.03.2001 तद्नुसार कर निर्धारण वर्ष 2000–01 में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा Quantum of Sales Tax Exemption से अधिक Sales Tax Exemption avail कर लिये जाने के कारण अपीलार्थी व्यवहारी ने सम्पूर्ण कर मुक्ति अवधि के कर निर्धारण आदेशों को संशोधन के प्रावधान की आड़ में विवादित किया है।

13. अपीलार्थी व्यवहारी कि बिक्री कर प्रोत्साहन योजना की पत्रावली में पृष्ठ संख्या 207 से 250 तक 31.03.1995 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये ऑडिटर्स रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 221 के शिड्यूल 'ओ' का क्रम संख्या 5 निम्न प्रकार है –

5. Quantitative Information

PRODUCTS	UNITS (Cartons)	OPENING STOCK Qty.		PRODUCTION Qty.
		Qty.	Value (Rs.)	
Mineral Water	1000 ml	159 (154)	11,611 (7,546)	724204 (318182)
	500 ml	- (-)	- (-)	344 (-)
	300 ml	- (-)	- (-)	21 (-)

SALES		SAMPLING/ BREAKAGES/REPL.	CLOSING STOCK	
QTY.	VALUE (Rs.)	QTY.	QTY.	VALUE (Rs.)
710063 (317171)	4,73,02,215 (2,05,00,681)	9492 (1006)	4808 (159)	2,70,044 (11,611)
337 (-)	12,132 (-)	7 (-)	-(-)	-(-)
-(-)	-(-)	21 (-)	-(-)	-(-)

लगातार.....8

14. अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 1998—99 के नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.2.2001 में मिनरल वाटर की बिक्री पर कर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रू 18,50,458/— का कर मुक्ति लाभ avail किया है। कर निर्धारण वर्ष 1999—2000 के नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 25.09.2001 में मिनरल वाटर की बिक्री पर कर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रू 39,45,079/— का कर मुक्ति लाभ avail किया है तथा कर निर्धारण वर्ष 2000—01 के नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 18.07.2002 में मिनरल वाटर की बिक्री पर कर प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत रू 25,74,106/— का कर मुक्ति लाभ avail किया है, परन्तु व्यवहारी के पक्ष में Quantum of sales Tax Exemption रू 11,65,564/— ही उपलब्ध होने के कारण इसी राशि की सीमा तक कर मुक्ति का लाभ अनुज्ञेय किया गया है शेष राशि रू 14,08,542/— का कर वसूली हेतु मांग सृजित की गई है।

15. अपीलार्थी व्यवहारी ने Quantum of sales Tax Exemption की अनुज्ञेय सीमा से अधिक लाभ लिये जाने के पश्चात् एक सोची समझी चाल के तहत् बेचे गये माल मिनरल वाटर को अभिलेख तथ्यों के विपरीत जाकर एक मिथ्या कहानी गढ़ कर इस पर पर्दा डालने का प्रयास किया गया, जो कि व्यवहारी की दुर्भावना को प्रदर्शित करता है।

16. माननीय न्यायालयों के उक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार अधिनियम की धारा 37 के तहत केवल लिपिकीय त्रुटि संशोधित की जा सकती है। उक्त प्रावधानों का दायरा अत्यन्त सीमित है, जिसके तहत सचेतन मस्तिष्क से पारित किये गये आदेशों को संशोधित नहीं किया जा सकता।

17. प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1997—98 से सम्बन्धित प्रकरण में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ के आदेश दिनांक 27.06.2002 द्वारा अपीलार्थी द्वारा बिक्रीत उत्पाद को मिनरल वाटर अभिनिर्धारित किया जा चुका है। अतः पश्चातवर्ती वर्षों के लिये इस बिन्दु को विवादित नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2016) 89 वी.एस.टी. 56 (गुजरात) नेस्ले इण्डिया लिमिटेड बनाम उपायुक्त वाणिज्यिक कर व अन्य** में निम्न व्यवस्था दी गयी है :—

लगातार.....9

"8.12.1 In the case of Ponds India Ltd. [2008] 15 VST 256 (SC); [2008] 8 SCC 369, it has been observed and held by the honourable Supreme Court that if an entry had been interpreted consistently in a particular manner for serval assessment years, ordinarily, it would not be permissible for the Revenue to depart there from unless there is any material change. In the aforesaid decision, the honourable Supreme Court considered decision of the honourable Supreme Court in the case of Bharat Sanchar Nigam Ltd. v. Union of Indian reported in [2006] 3 VST 95 (SC); [2006] 145 STC 91 (SC); [2006] 282 ITR 273 (SC); [2006] 6 RC 276; [2006] 3 SCC 1, more particularly, para 20, which reads as under (pages 104 and 105 in 145 STC) :

> "....The courts will generally adopt an earlier pronouncement of the law or a conclusion of fact unless there is a new ground urged or a material change in the factual position. The reason why courts have held parties to the opinion expressed in a decision in one assessment year to the same opinion in a subsequent year is not because of any principle of res judicata but because of the theory of precedent or the precedential value of the earlier pronouncement. Where facts and law in a subsequent assessment year are the same, no authority whether quasi-judicial can generally be permitted to take a different view. This mandate is subject only to the usual gateways of distinguishing the earlier decision or where the earlier decision is per incuriam. However, these are fetters only on a coordinate bench which, failing the possibility of availing of either of these gateways, may yet differ with the view expressed and refer the matter to a bench of superior strength or in some cases to a bench of superior jurisdiction."

18. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपरोक्त पैरा 14/15 में की गई विवेचना के आधार पर अभिलेख में उपलब्ध सामग्री से यह प्रमाणित होता है कि अपीलार्थी ने Ulterior purpose achieve करने के लिये यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की है। राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2002 अन्तिमता प्राप्त आदेश है, अतः उपायुक्त (अपील्स) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.06.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

19. परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

20. निर्णय सुनाया गया।

29.04.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष